

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1 छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पृ. क्रमांक...3072.../त.शा. /2020-21

दिनांक 22/06/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त
(आदिवासी विकास)
छिंदवाड़ा

विषय: तंसरा-नोनीछापर मार्ग निर्माण हेतु वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने वावत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि तंसरा-नोनीछापर मार्ग लंबाई 7.50 कि.मी. अयोजना मद अंतर्गत स्वीकृत मार्ग है। जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति 728.28 लाख रुपये शासन द्वारा दिनांक 25/11/2019 को जारी की गयी है। मार्ग के एकरेखण में 5.36 कि.मी. लंबाई में वन भूमि होने के कारण कार्य रुका हुआ है। वन विभाग से वनक्षेत्र अंतर्गत 7.50 मी. चौड़ाई में कार्य करने हेतु अनुमति वावत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, जिसका proposal no. FP/MP/ROAD/46086/2020 है। मार्ग निर्माण में वनक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्र. RF-1286 एवं RF-1287 में लगभग 3.082 हे. वन भूमि प्रभावित होगी। वन विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन में FRA certificate संलग्न न होने की आपत्ति ली गयी है।

अतः वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र पर किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई दावा नहीं होने का प्रमाण पत्र (FRA Certificate) प्रदान करने का कष्ट करें।

सहपत्र: (1) वन विभाग को किए आवेदन की प्रति
(2) ग्राम सभा का प्रस्ताव


कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
संभाग छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पृ. क्रमांक...3073.../त.शा. /2020-21

दिनांक 22/6/2020

प्रतिलिपि

- (1) कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(2) वनमण्डल अधिकारी, पूर्व वनमण्डल छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र: उपरोक्तानुसार


कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
संभाग छिंदवाड़ा (म.प्र.)